<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
सप्लाई विविध प्रकरण सं. 06/2017 प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम महेश छीपा</td></tr>
<tr><td>25.05.2018</td><td>

पत्रावली आज पेश हुई आज यह प्रकरण निर्णय हेतु रखा है। प्रकरण में संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रर्वतक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी महेश कुमार छीपा, नाहरसिंह नगर तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर के विरूद्ध पेश किया है जिसमें यह व्यक्त किया है कि दिनांक 03.05.2017 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा घरेलू गैस का वाणिज्यिक प्रयोग में लेने के क्रम में महेशकुमार छीपा की फर्म का निरीक्षण किया मौका पर महेशकुमार छीपा मालिक के तौर पर उपस्थित मिला मौतबिरान् के रूबरू जांच कि गई एवं पाया कि घरेलू सिलेण्डर (14.2) भराव क्षमता का उपयोग अवैध परिवहन एवं सग्रंह किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर उपयोग लेते पाये गये।

<table>
<tr><th>क्रं. स.</th><th>सिलेण्डर नं.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>सिलेण्डर पर अंकित वजन</th><th>सिलेण्डर का वजन</th><th>गैस का वजन</th></tr>
<tr><td>01</td><td>181059P</td><td>एच.पी.</td><td>15.5</td><td>25.5</td><td>9.8</td></tr>
</table>

इस प्रकार घेरलू गैस का सग्रंह कर वाणिज्यिक प्रयोग पाये जाने पर उपरोक्त वर्णित सिलेण्डर 181059P घेरलू गैस सिलेण्डर को जब्त किया सरकार किया जाकर कुवंरराज सिंह पुत्र सुमरे सिंह फर्म गिरीराज गैस सर्विस, शेरगढ़, जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का सग्रंह कर वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3बी, 4, 5, 6 की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 दण्डनीय अपराध है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण प्राप्त होने पर अप्रार्थी को नोटिस अतर्गंत धारा 6–बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जारी किया जो किशोरसिंह गांव नाहरसिंह नगर शेरगढ को जारी किया गया था जो विधिक तौर पर तामिल नहीं होने के कारण प्रर्वतन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय जोधपुर ग्रामीण को सही पता बताने बाबत न्यायालय में बुलाया गया और प्रवर्तक निरीक्षक ने दिनांक 12.04.2018 को लिखित में अवगत कराया कि इस प्रकरण में परिवादी किशोरसिंह नहीं है बल्कि महेशकुमार छीपा है जिसकी आईसक्रीम की दुकान (बालाजी आईसक्रीम) शेरगढ में है। वहाँ मेरे द्वारा गैस सिलेण्डर जब्ती की गई थी अतः परिवादी का संशोधन नाम महेश कुमार छीपा होना बताया गया और महेश कुमार छीपा को विधिवत् नोटीस जारी किया गया जो विधिवत तामिल होना पाया गया। अप्रार्थी महेश कुमार छीपा नियत तारीख पेशी दिनांक 21.05.2018 को कैम्प कोर्ट तहसील बालेसर में उपस्थित हुआ।

अतः अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तशुदा सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उनसे प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा करायी जाये, आदेश की एक प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित हो।

छगनलाल गोयल
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

</td></tr>
</table>